न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 59/2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
शक्तिदान पुत्र देवीदान जाति चारण निवासी चौपडा		1 श्रीमति भंवरकंवर पुत्री देवीदान जाति चारण निवासी रोहट 2 हरिसिंह पुत्र देवीदान जाति चारण निवासी चौपडा 3 तहसीलदार सोजत (भूमिधारक)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.11.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2010 भंवरकंवर बनाम शक्तिदान वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चौपडा के खसरा नम्बर 931, 937, 945, 946, 994, 995, 1023 व 1027 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 16.9400 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है, जो पूर्व में देवीदान की खातेदारी भूमि थी तथा देवीदान के फौत होने पर देवीदान के विधिक वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 में निहित हुई। उक्त भूमि के विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मातहत अदालत के समक्ष एक राजस्व वाद दायर किया, जिसमें अपीलाण्ट ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु सहमति व्यक्त करने पर मातहत अदालत द्वारा दिनांक 19.12.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की। इसके पश्चात तहसीलदार सोजत द्वारा जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह रिपोर्ट माफिक डिक्री नही होने के कारण अपीलाण्ट की आपत्ति पर पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई, किन्तु तहसीलदार सोजत द्वारा पूर्ववत रिपोर्ट ही न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर मातहत अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यों के विपरित है। जिस स्थान पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 काबिज है, वह भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में रखी गई है तथा जिस स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज है, वह भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलाण्ट को प्रदान की गई है। पक्षकारान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने की सहमति प्रदान की गई थी, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तवज्जों नही दी जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा किया गया, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा समस्त तथ्य स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन करने हेतु सहमति प्रदान करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार सोजत द्वारा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा दुबारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। निर्णय में खसरा नम्बर 1027 का रकबा 2.0900 हैक्टेयर अंकित कर दिया गया था, जबकि वास्तविक रूप से रकबा 2.9000 हैक्टेयर था। इस गलती को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2014 को दुरूस्त किया जा चुका है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि का बंटवाडा नही करवाने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत कर मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करना चाहते है। जबकि जैर अपील आदेश की पालना में भूमि का विभाजन हो चुका है तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम भी हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम चौपडा के खसरा नम्बर 931, 937, 945, 946, 994, 995, 1023 व 1027 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 16.9400 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन कर भूमि राजस्व रेकर्ड में पृथक से तरमीम कराते हुए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि में दखल अन्दाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अपीलाण्ट द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मुजराई दावा प्रस्तुत कर भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का अनुतोष चाहा। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2011 को आदेश पारित करते हुए वादस्थ भूमि में वादीया के 1/2 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के उनके हिस्से अनुसार पृथक पृथक खसरा नम्बर, रकबा, लगान एवं राजस्व रेकर्ड में तरमीम हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सोजत ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/12/1148 दिनांक 08.06.2012 के जरिये विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति करने पर तहसीलदार को प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.2011 के अनुरूप पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लिखा गया। इसके पश्चात तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/राज/14/2966 दिनांक 24.04.2014 के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जरिये विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया। जिस पर प्रस्ताव पर मातहत अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की प्रथम पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/12/1148 दिनांक 08.06.2012 के जरिये प्रस्तुत की गई, उसमें समस्त खसरा नम्बरान को पृथक पृथक दर्ज कर, हिस्से अनुसार पृथक पृथक रकबा एवं लगान का निर्धारण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस मातहत अदालत द्वारा दिनांक 22.05.2012 को इस आपत्ति के साथ लौटाई कि प्रस्ताव में पृथक पृथक खसरा नम्बर दर्शित नही किये है, जो नजरी नक्शे में दर्शित है तथा विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नही होने के कारण पुनः रिपोर्ट तलब की गई। इसी रिपोर्ट पर अपीलाण्ट द्वारा यह आक्षेप लगाया गया कि बंटवाडा प्रस्ताव विधिक नही है। उपजाऊ भूमि वादी को दी गई है। इस कारण पुनः रिपोर्ट तलब करावे। इस पर दिनांक 08.08.2012 को पुनः रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात तहसीलदार सोजत द्वारा संशोधित पालना रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/राज/14/2966 दिनांक 24.04.2014 के जरिये प्रेषित की गई, जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष सहमत होने के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। यदि अपीलाण्ट को उक्त डिक्री से किसी प्रकार का शिकवा होता तो, उसे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नही किया गया। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई विशेष कारण प्रतीत नही होता है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया हो। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में विभाजन के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिये गये है, उनके सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नही होता, जिसके आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अनुचित ठहराया जा सके। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2010 भंवरकंवर बनाम शक्तिदान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2014 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली